न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 53 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. सुखाराम पुत्र जवाराराम 2. उदाराम पुत्र जवाराराम 3. माधाराम पुत्र मोडाराम 4. भंवराराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी खनोड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. ओमप्रकाश पुत्र वागाराम 2. लूणकरण पुत्र वागाराम 3. अशोककुमार पुत्र वागाराम 4. भंवरीदेवी पत्नी वागाराम 5. खीमाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम 6. सोनाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम 7. वींजाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम 8. नारणाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम 9. छगनाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम जाति सुथार निवासी खनोड़ा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 10. वालीदेवी पत्नी पुरखाराम 11. रिडाराम पुत्र सुरताराम 12. दानाराम पुत्र सुरताराम 13. केसाराम पुत्र सुरताराम 14. हुकमाराम पुत्र नारणाराम 15. तेजाराम पुत्र नारणाराम 16. मीरा पत्नी पोकरराम 17. दूदाराम पुत्र पोकरराम 18. पोलाराम पुत्र पोकरराम 19. किशनाराम पुत्र पोकरराम 20. कानाराम पुत्र पोकरराम 21. भागीरथ पुत्र पोकरराम 22. उकिया पुत्र मानाराम 23. घेवरराम पुत्र मानाराम 24. सेनाराम पुत्र मानाराम 25. ढलाराम पुत्र शिवाराम 26. वनाराम पुत्र शिवाराम 27. जगाराम पुत्र शिवाराम जाति मेघवाल निवासी खनोड़ा भू अभिलेख निरीक्षक बड़नावा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 226 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 277/2017 भगवान ओमप्रकाश वगै. बनाम सुखराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 10.08.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पन्नाराम जांगिड़ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-14.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन खेत खसरा नम्बर 51 रकबा 156.06 बीघा भूमि में आवागमन हेतु अपीलांटगण व उत्तरदाता संख्या 10 से 23 की खातेदारी के खेत पड़ोसी खसरा नम्बर 59 रकबा 107.02 बीघा में से 07 बिस्वा एवं खसरा संख्या 60 रकबा 149.06 बीघा में से 01.01 बीघा सार्वजनिक रास्ते हेतु भूमि प्रदान की जावे। उपरोक्त आवेदन दर्ज किया गया। अपीलांटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर दोनों की पक्षों की बहस सुनकर उसके पश्चात मौका रिपोर्ट मंगाने के आवेदन पर निर्णय कर मौका रिपोर्ट तलब करना कही नही लिखा गया है। सीधा ही मौका रिपोर्ट प्राप्त करने की तहरीर जारी करने का लिखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव रिक्त किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 09 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण को सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में नियत करने हेतु अपीलांटगण को कोई सूचना/नोटिस तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों में विभक्त किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस/प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता अवलोकन किये विना जल्दवाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 277/2017 बअनवान ओमप्रकाश वगै. बनाम सुखराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए लघुतम कटाण मार्ग देने की कार्यवाही करे जिसमें किसी भी खसरे के टुकड़े नहीं किये जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर